न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— डॉ0सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
97 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	9—12—20212	22—08—2023

डा0 मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1—घी विक्रेता श्री रामअवतार यादव पुत्र श्री बजरंग लाल यादव निवासी ग्राम चन्दलाई सवाई माधोपुर रोड टोंक राज.

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26(2) की उप धारा (ii) (iii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011

उपस्थित—

1—डा0 मदललाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2—अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:—निर्णय—: **दिनांक 22.08 .2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि अति0 जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष ग्रामवासियों ने नकली घी बनाने वालों पर कार्यवाही करने हेतु शिकाय की थी जिस पर उनके द्वारा दिये गये मोखिक आदेशों की पालना में आवेदक मदनलाल गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 9—6—2021 को समय 12:51 पी.एम पर घी विक्रेता श्री रामअवतार यादव पुत्र श्री बजरंग लाल यादव निवासी ग्राम चन्दलाई सवाई माधोपुर रोड टोंक के प्रतिष्ठान पर पहुँचा। वहाँ पर घी विक्रेता श्री नरसी यादव मिला, जिसको अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नरसी यादव बताया की घी बेचने का अनुज्ञा पत्र मेरे पिताजी को पता है उन्हें फोन करके बुलाता हूँ। नरसी यादव ने फोन किया तो थेड़ी देर में श्री रामअवतार यादव पुत्र बजरंगलाल यादव उपस्थित हुआ एंव स्वयं को दुकान का मालिक होना स्वीकार किया एवं खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि मकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में एल्यूमिनियम की केन में लगभग 20 किलोग्राम **घी (खुला)** व एक लोहे के टिन में 15 किलोग्राम घी रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो घी का नमूना लेने के तैयारी करने लगा। श्री नरसी यादव ने हनुमान यादव नामक युवक को फोन कर बुलाया जिसके साथ 3—4 अन्य व्यक्ति आकर जॉच दल के साथ अभद्रता करने लगे धमकी देने लगे, तथा गाली—गलोच कर नमूना लेने का विरोध करने लगे। मौके पर भीड़ इकठ्ठी कर नमूना नही लेने का दबाव बनाने लगे तो आवेदक ने वस्तुस्थिति से अति0 कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जिस पर अति0 कलेक्टर द्वारा मौके पर पुलिस जाप्ता व तहसीलदार टोंक को भिजवाया। पुलिस जाप्ते व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तहसीलदार की मौजूदगी में श्री रामअवतार यादव पुत्र बजरंगलाल यादव की दुकान में एल्यूमिनियम की केन में लगभग 20 किलोग्राम **घी (खुला)** में से 800 ग्राम घी लेकर इलेक्टोनिक मशीन से तुलवाकर स्टील के जग में खरीदा व श्री रामअवतार यादव को फार्म न. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी (खुला)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 800 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 112/रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर करवाने के लिए कहा गया तो वहॉ पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी हस्ताक्षर नहीं किये इस कारण सरकारी कर्मचारियों को गवाह बनाया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की सूचना अति0 जिला कलेक्टर एंव अति0 जिला मजिस्ट्रैट को दिये जाने पर उनके द्वारा सभी दोषियों के विरूद्व पुलिस कार्यवाही करने के मोखिक निर्देश दिये गये जिसकी पालना में आवेदक ने नियमानुसार पुलिस थाना सदर में दोषियों के विरूद्व सम्बनित धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया जिसकी एफ0आई0आर0 की प्रति संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **घी (खुला)** को बराबर-बराबर 00-200 ग्राम चार साफ एवं सूखी प्लास्टिक की शिशियों में भरकर प्रत्येक शिशी के ढक्कन को अ छी तरह एयरटाईट बन्द किया एवं चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये च र लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य ' दार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-2873 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक ाबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर क ाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अल ा खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. अ ई-2873 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो न ना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति ॉं तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना ाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार ़िया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा ' वं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ाधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/2175 दिनांक 25-6-2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./696/एक्ट/2021/714 दिनांक 15-6-2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **3(1)(zz)** (iv) व **3(1)(zz)(xi)** का उल्लंघन के कारण **असुरक्षित unsefe** स्तर का होना पाया गया। खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय ज स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर की जॉच रिपोर्ट के विरुद्व श्री रामअवतार यादव द्वारा समयावधि में धारा 4(4) के अन्तर्गत नमूना पुनः जॉच करवाने हेतु अपील आवेदन किया, अपील पर नियमानुस र विचार कर नमूना पूनः जॉच करवाने हेतु निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर भिजवाया गया। निदेशव , रेफरल फूड लेब मैसूर की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस.एस./ए/ 877एफ/2021

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दिनांक 12–11–2021 के अनुसार उक्त नमूना 3(i)(zx) के उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया,जो कि अन्तिम रूप से मान्य है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतग शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के राज्य कर्मचारियों के विरूद्व अभद्र व्यवहार किया है तथा राजकार्य में बाधा पहूँचाई है जिस कारण पुलिस जाप्ता व तहसीलदार की मोजूदगी में नियमानुसार कार्य को अंजाम दिया है। अप्रार्थी जिस **घी (खुला)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी ने राज्य कर्मचारियों के विरूद्व अभद्र व्यवहार किया है तथा राजकार्य में बाधा पहूँचाई है जिस कारण पुलिस जाप्ता व तहसीलदार को मौके पर भिजवाकर नियमानुसार कार्य को अंजाम दिया है। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (खुला)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) (iii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 63 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 100000/–(अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शस्ति की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22–8–2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22–8–2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ0सुरजं सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0